न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 15/2019

1— सुमनकंवर पुत्री सांगसिंह पत्नि समंदरसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल आबाद ग्राम भोजासर तहसील रतनगगढ जिला चुरू

—— अपीलांटस

बनाम

1— हरकंवर पत्नी स्व. सांगसिंह
2— देवी सिंह
3— पृथ्वीसिंह
4— पप्पूसिंह } — पिसरान स्व0 सांगसिंह जाति राजपूत निवासीगण पेथडो की ढाणी तहसील कालोयत जिला बीकानेर
5— सुमेरसिंह
6— भैरूसिंह

7— किरणकंवर पुत्री स्व. सांगसिंह पत्नी दिलिपसिंह जाति राजपूत निवासी पेथडो की ढाणी हाल ग्राम मण्डेला तहसील चिडावा जिला झुन्झूनु
8— राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

— रेस्पोडेन्टरा

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी — अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रविराजसिहं भाटी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7
3. पैरोकारराज — राज्य की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :25—9—2019

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन आज्ञा उपनिवेशन तसहीलदार गजनेर मु0 कोलायत कैम्प गिराजसर दिनांक 13.6.19 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयीं हैं। जिससे कि उक्त इंतकाल सं0 451 मे अपीलार्थी सुखी कंवर गलत रूप से अंकित कर दिया गया।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य न्यायालय के सम्मुख प्रकट हुवे हैं, वे इस प्रकार हैं कि खेत ख.न. 76/6/1 जिसका क्षेत्रफल 25 बीघा जो ग्राम गिराजसर मे स्थित हैं, के संयुक्त खातेदार सांगसिंह व उसके भाई व अन्य काश्तकार थे। इन पर खातेदारान मे से सह खातेदार सांगसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसकी फौतगी का विरासतन इंतकाल सं0 451 मृतक के वारिसान अनकी पत्नि व पुत्रगण/पुत्रीगण के नाम उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत कैम्प गिराजस मे दिनांक 19.6.2016 को तस्दीक कर दिया। इसी आदेश को आक्षेपित कर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।

3— इस अपील के प्रत्यर्थीगण को सम्मन दिये गये। प्रत्यर्थी सं0 1 ता 7 की ओर से श्री रविराजसिहं भाटी अभिभाषक ने दिनांक 28.8.19 को अपना अभिभाषक न्यायालय मे दाखिल किया। राज्य की ओर से रेस्पोडेन्ट उपस्थित आये।

4— मैने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की प्रस्तुत बहस सुनी एवं उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली आ आद्योपांत अध्ययन एवं अवलोकन किया हैं।

5— सर्व प्रथम हम अपील के सयम सीमा के बिन्दु पर निर्णय करना चाहेंगे। प्रस्तुत अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत कैम्प गिराजसर के आज्ञा दिनांक 13.6.19 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 23.7.19 को प्रस्तुत की गयी हैं जो दो वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने से निश्चित तौर पर समय सीमा से बाधित हैं। अपीलार्थी की ओर से दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उसमे अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व मे नही होना प्रकट किया क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना सुने व इकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया था। अतः दफा 5 मियाद अधिनियम का फायदा दिया जावें। दफा 5 मियाद कानमू के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे जो देरी के कारण उल्लेखित किये गये हैं उसके खारिज मे कोई विरोध हमारे सम्मुख उपस्थित नही किया गया है ऐसी सूरत मे शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे अपील मे देरी को कण्डोन किया जाता हैं तथ प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर अपील मियाद मे प्रस्तुत होनी शुमार की जाती हैं।

6— अब हम अपील के गुणावगुण पर अपना निष्कर्ष देते हैं, कि अपीलार्थी अपील मे यह कहकर आयी हैं कि उसकी सही नाम सुमनकंवर हैं लेकिन आक्षेपित इंतकाल मे उसका नाम सुखीकंवर दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। अतः इस कारण आदेश इंतकाल जैर अपील अविधिक हो जाता हैं। अपीलार्थीयां ने अपना नाम सुमन कंवर होने के समर्थन मे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक व भामाशाह कार्ड की चित्र प्रतियां प्रस्तुत की हैं। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक इस अपील को स्वीकृत किये जाने मे अपनी नो आपत्ति देने से दौराने अपील काबिले मंजूर हो जाती हैं।

7— परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीयां स्वीकार की जाती हैं तथा आदेश इंतकाल जैर अपील मे सुखी कंवर का नाम दर्ज करना गलत होने से निरस्त किया जाता हैं तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया जाता हैं कि आप हमारे द्वारा सम्प्रेषणों को ध्यान मे रखते हुवे अपीलार्थीयां को सुनवाई व साक्ष्य का मौका देकर उनसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लेकर बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति एवं अधिनस्थ नयायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/9/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर